

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 798 / मीरजापुर / 15 दिनांक, मीरजापुर, अगस्त, 26 2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम- ददरी खुर्द, में स्थपित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 1674/81-2-2019-20-800(64)/2016 दिनांक 26.07.2019 के कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2157/ 11- सी- FP/UP/ Thermal /14236/2015 लखनऊ दिनांक 29.07.2019 ।

महोदय,

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम- ददरी खुर्द, में स्थपित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

Obser no	Obserbation	Reply
2(1)	वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10. 1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई जबकी गाव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित है "Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs" (संलग्नक-1)।
2(2)	वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10. 1952 द्वारा विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 9 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुई शेष 1380. 84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुई।	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित है "Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs" (संलग्नक-1)। धारा-4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या- 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। (संलग्नक-2) पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या- 23(2)36(ब)/ 14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी (संलग्नक-3) विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक-4)। इस प्रकार 1380.84 एकड़ भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद होना अवशेष है।

2(3)	बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, में 834.68 एकड़ (337.792 हे0) भूमि कय की गई जो तत्का0 प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 18.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।	उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा- 117(6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत विज्ञापित भूमि 800 एवं 843 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी जिसके विरुद्ध मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा धारा-4 व 419 बीघा 9 बिस्वा धारा-20 के उपरान्त वन विभाग को प्राप्त हुयी। उक्त प्रकरण में 79/2014 मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के बिन्दु संख्या-61 पर के उप बिन्दु-1 का प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :- The Appeal is allowed EC dated 21-08-2014 is set aside. वर्तमान में परियोजना हेतु कय भूमि के सम्बन्ध में यह समाधान आवश्यक है कि बेलेस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी भूमि उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा- 117(6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित नहीं है तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के पत्रांक-4599/मी0/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से समाधान अपेक्षित है जो अबतक अप्राप्त है तथा उक्त परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या- वी0आई0 पी0-23/ 14-2-2019 -190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर का निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा :- “प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या- वी0आई0पी0-23/14-2-2019 -190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।”
2(4)	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या-617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित है “Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs” (संलग्नक-1)। धारा-4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या- 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। (संलग्नक-2) पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या- 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी (संलग्नक-3) विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक-4)। इस प्रकार 1380.84 एकड़ भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद होना अवशेष है

2(3)	बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, में 834.68 एकड़ (337.792 हे0) भूमि कय की गई जो तत्का0 प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 18.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।	उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा- 117(6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत विज्ञापित भूमि 800 एवं 843 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी जिसके विरुद्ध मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा धारा-4 व 419 बीघा 9 बिस्वा धारा-20 के उपरान्त वन विभाग को प्राप्त हुयी। उक्त प्रकरण में 79/2014 मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के बिन्दु संख्या-61 पर के उप बिन्दु-1 का प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :- The Appeal is allowed EC dated 21-08-2014 is set aside. वर्तमान में परियोजना हेतु कय भूमि के सम्बन्ध में यह समाधान आवश्यक है कि बेलेस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी भूमि उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा- 117(6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित नहीं है तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के पत्रांक-4599/मी0/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से समाधान अपेक्षित है जो अबतक अप्राप्त है तथा उक्त परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या- वी0आई0 पी0-23/ 14-2-2019 -190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर का निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा :- “प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या- वी0आई0पी0-23/14-2-2019 -190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।”
2(4)	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या-617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।	ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित है “Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs” (संलग्नक-1)। धारा-4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या- 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। (संलग्नक-2) पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या- 23(2)36(ब)/ 14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी (संलग्नक-3) विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक-4)। इस प्रकार 1380.84 एकड़ भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद होना अवशेष है

4-	उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वेलस्पन एनर्जी यू० पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेंगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमती के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसके कम में शासन के पत्रांक-2691 दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से कतिपय सूचनाये मागी गयी थी, जिसका उत्तर अध्यतन अप्राप्त है। अतः उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना भी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है उ०प्र० शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 के पत्रांक-2691/14-2-2018-800 (64)/2016 लखनऊ दिनांक 27.08.2018 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक- 8बी/08/38/2018/एफ०सी०/478 दिनांक 11.01.2017 के बिन्दु संख्या 3 पर यह उल्लेख किया गया है कि 3- In pursuance of order of Hon'ble NGT in appeal no 79 of 2014. Department of Forests, UP may review its stand on the proposal. इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 286/मी०/15 दिनांक 16.07.2019 द्वारा आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा आपको प्रेषित की गयी। उक्त परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या- वी०आई०पी०-23/ 14-2-2019-190जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर का निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा :- "प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या- वी०आई०पी०-23/14- 2-2019-190जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।" परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले प्रस्तावक संस्था द्वारा 8.3581 हे० गैर वन भूमि ग्राम-कुशियरा तहसील लालगंज जिला मीरजापुर के आराजी संख्या-44 च पुरानी आराजी संख्या-231/1 रकबा 8.3581 हे० प्रस्तावित की गयी है जिसमें शासनादेशसंख्या-वी०आई०पी०-23/14-2-2019- 190 जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-678/मी०/15 दिनांक 09.08.2019 द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर से अनुरोध किया गया है।
----	---	--

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

FOREST DEPARTMENT

GAZETTE 617

MISCELLANEOUS

October 11, 1952

No. 617/XIV—In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952

(1) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries, situated in a circle, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the uncultivated land (to be demarcated) shall not vest
1	2	3	4	5
Dehra Dun	Dehra Dun	Western Doon	1. Kayarkull Bhatta	2,087
			2. Bhrank	116
			3. Chalang	161
			4. Khurawan	183
			5. Garhi Motehak	196
			6. Gumaniwala	194
			7. Balwala	303
			8. Baderna	261
			9. Godul	4,208
			10. Nali	140
			11. Simyari	212
			12. Silla	240
Banspur	Nakur	Gangoh	1. Ram Raikhor	155
			2. Rajpur Latifpur	179
			3. Sateara	516
			4. Boor Khori Musalman	236
			5. Khairaul	108
			6. Haidarpur	307
			7. Shitalpur	205
			8. Shorpur	458
			9. Ranpur Darai (Alluvial)	200
			10. Talpura	122
			11. Darya Baranad	111
			12. Jandheri	134
Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	Gardhanpur	1. Khanpur	380 (in Aiki).
			2. Idriapur	232 (in Chakheri).
			3. Mara Baila	1,671 (in Banuwala).
			4. Farakhpur	287 (in Panchli).
			5. Farakhpur	229 (in Hastipauli).
			6. Abdipur	104
			7. Khairki	284 (in Marakhpur).
			8. Kharki	252 (in Bokunthpur).
			9. Husainpur	170
			10. Bhadauli	140 (in Bahlolpur).
			11. Kalsiya	244
			12. Jogawala	418 (in Udiawali).
			13. Barhiwala	140
			14. Barhiwala	320 (in Bhainaliwala).
			15. Almwala	124
			16. Mohamdpur	131 (in Zinwarheri).
			17. Dharmapur	400
			18. Yahyapur	231
			19. Shahpur	283 (in Madarpur).
			20. Mohamdpur	186 (in Dhamat).
			21. Farakhpur	331
			22. Shalpur	306 (in Rizkallapur).
			23. Balawali	497 (in Shahpur Khadar).
			24. Badshahpur	700 (in Hithmatpur Bala).
			25. Badshahpur	245 (in Rumsahawala).
Kairana	Jhunjhuna	Bidauli	26. Rogana	173
			27. Bibipur Jalavpur	209
			28. Phawati Khurd	473
			29. Kherikhushnam	366
			30. Garhi Hasanpur	103
			31. Khodasabha	849
			32. Sakauti	675
			33. Mansura	504
			34. Balhara	880
			35. Khilal Garhi	403
Kairana	Jhunjhuna	Bidauli	36. Yusufpur in (Hathra)	1,151

Muzampur .. Kumbh

215.	Pathuki	146
216.	S-mra Pratap S	185
217.	Tulsi S	571
218.	Rahi	393
219.	Mondli	189
220.	Pandaria Khurd	116
221.	Sonrai	988
222.	Amoi	824
223.	Bharui	1,458 - R/gaj
224.	Murlihan	309
225.	Deori Kalan	219
226.	Khuchhar	410
227.	Kubari Pabhar	708
228.	Karondo	313
229.	Pathror	317
230.	Raikhara	721 - R/gaj
231.	Piprad	362
232.	Hardi Kalan	1,331 - R/gaj
233.	Barki	151
234.	Hardi Mome	148
235.	Kulhanki	186
236.	Amoi	281
237.	Patewar	229
238.	Komdih	196
239.	Deori Duwar	225
240.	Khandwar, Midhan	144
241.	Deori Uttar	1,106
242.	Himanti Raju	334
243.	Hedauli	374
244.	Deori Khurd	309
245.	Chandhwa Khurd	230
246.	Gahwa	209
247.	Himanti	1,224
248.	Daki Khurd	343
249.	Umariya Sardar	631
250.	Tonga	451
251.	Garaha	681
252.	Palliput	159
253.	Sagar Sempur	122
254.	Sagar Sempur	153
255.	Gopalpur	3,121

Chunar .. Almadra

256.	Beghaur	657
257.	Beghauri	657
258.	Kathapur	657
259.	Churhi	657
260.	Madhupur	657
261.	Nagharharaiya	657
262.	Bantara	657
263.	Chhoto Himanti	657
264.	Jamaliyapur, Siur	657
265.	Bampur Dhubai	657
266.	Lalipur, Manikpur	657

Saktogarh

267.	Lahura, Gogadara	2,170
268.	Rajapur Dholwahi	3,397
269.	Naulihur Lalpur	60
270.	Dachia, Bichampur, Mutihari	2,090
271.	Dadaha	449
272.	Bahura	65
273.	Chandhwa	210
274.	Sarao	1,369
275.	Somri	1,450
276.	Nikarika	2,170
277.	Bijapur	300
278.	Titwa	140
279.	Kosha Khurd, Kosha Kalan	1,238
280.	Saktogarh, Khauwa Jayati	7,220
281.	Matpur	350
282.	Bhandi	700
283.	Dhorhama	400
284.	Dampur	170
285.	Kahwari Mofi	1,163
286.	Dhaurah	400
287.	Dhaurah	66
288.	Khandi	150

Robertoganj .. Bachar

289.	Khatihata	1104
290.	Dorachori	396
291.	Bamhi	128
292.	Tuli Pokhar	311
293.	Dhali	3204
294.	Babhan	301
295.	Kandari	2,470
296.	Majurahi	184
297.	Todi	229

Bijaygarh

298.	Korauli	236
299.	Bichhi, Gosa	148
300.	Pipri	167

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

December 27, 1955

खसमनक - 2

Adri Khurd on page
no. 6 S.No. 57

No. 5564/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 1(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-division concerned are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Banaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

		Tahsil	Pargana	Villages	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	
District Mirzapur								
1	2	Mirzapur	Kantib	Rampur Machwa	24	South—Uttar Deori Forest. West—Fields of Uttar Deori. North—Cultivated area of Rampur Machwa village. East—Rampur Thakurdayal village boundary.	119	
1	2	Do.	Do.	Samri Magardha	25	South—Sahira village boundary West—Ditto North—Ranibari Forest. East—Cultivated area of Samri Magardha.	153	
1	2	Do.	Do.	Gahara	26	South—Village boundaries of Gahara and Magardha Kalan and Khuri. West—Dudhuwa village boundary. North—Argajapandeypur village boundary. East—Cultivated area of Ram-pura.	248	
1	2	Do.	Do.	Itahi	27	South—Kothi village boundary West—Mahyar Forest. North—Belahi village boundary. East—Belahi and Kothi villages.	303	
1	2	Do.	Do.	Deori Dubar Khas	28	South—Agricultural fields of Deori Dubar Khas. West—Purwa and Amoi village boundary. North—Deori Uttar Forest. East—Pathaur Forest.	290	
1	2	Do.	Do.	Barkachha Kalan	29	South—Gurtotwa village boundary. West—Barkachha Kalan Forest and Belahi Forest. North—Agricultural fields of Barkachha Kalan. East—Khajuri Nauli.	3,605	
1	2	Do.	Do.	Belahi	30	South—Common boundaries of Belahi, Kothi and Kothi villages. West—Village boundaries of Kothi and Gangahara village. North—Village boundary of Kalwari Khurd. East—Chitang village boundary.	1,392	

By order,
ZAFERUL HASAN, Secretary

Serial	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						18,371		
55	Mirzapur	Kantli	Bela	55	South—Siktabi River and Forest West—Common boundary of Kotwa and Bela villages. North—Danti Forest. East—Danti and Sourai Forest.	1,183	Mirzapur	Kantli
56	Do.	Do.	Danti	56	South—Bela and Sourai Forest. West—Kotwa village boundary and Khajuri River. North—Gaura Bessin Forest and Jhingwa Barkachha Road. East—Ukhdaud and Dabri Gairab Forest.	733		
57	Do.	Do.	Dabri Khurd	57	South—Danti Forest West—Agricultural fields of Dabri Khurd and Dabri Gehra. North—Sukhsai Forest. East—Dachiram Forest.	300		Do.
58	Do.	Do.	Machhan	58	South—Cultivated area of Machhan village and Patowar Forest. West—Deori Kalan fields. North—Dachiram Forest East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	300		
59	Do.	Do.	Raksha Kalan	59	South—Dabri Ram Forest West—Dabri Ram village boundary. North—Agricultural fields of Raksha Kalan village. East—Dabri Ram forest and Pachokhra fields.	239	Do.	Do.
60	Do.	Do.	Sukhsai	60	South—Dabri Khurd and Dachiram Forest. West—Ukhdaud Forest. North—Agricultural fields of Sukhsai and Umeria villages. East—Dabri Ram village boundary.	314	Do.	Do.
61	Do.	Do.	Dabri Ram	61	South—Common boundary of Machhan and Dachiram villages and then Dabri Ram and Deori Kalan. West—Common boundary of Dabri Khurd and Dachiram villages and then Dachiram and Sukhsai village. North—Agricultural fields of Dachiram village, Raksha Kalan forest and then Pachokhra fields. East—Forest boundary of Umeria Sardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	3,056	Do.	Do.
62	Do.	Do.	Umeria Sardar	62	North—Dabri Ram forest West—Ditto. South—Ditto East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar tahsils.	744		
63	Do.	Do.	Karanpura	63	South—Common boundary of Karanpura and Rajapur village and then Karanpur Kalwari villages. West—Boundary of Barni and Magardah forests. East—Boundary of Pagar and Prandapur forests. North—Agricultural fields of Karanpura and Harrai forest.	1,268		

(२५ जून १९५०)

29

संख्या (२) ३६ (ब) / १३-न-५७-राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को अक्षत बन बनाया जाय।

अतएव अब उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संबंधित इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके और विनियम संख्या ११६४/१४ दिनांक २७ दिसम्बर १९४४ का आदेश परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित बन बनाना निश्चित किया गया है।

२-राज्यपाल उपरोक्त ऐक्ट की धारा की उपधारा (१) के खण्ड (सी) के अधीन श्री उमासरन मिश्र डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर को उपरोक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए बन बनोवस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

बाड़ी राम-ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	तप्पा	ब्लाक के श्रमों का क्रमांक	गाम का नाम	खसरी प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७	८
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कलित	८४	३१	सुखनई	३७२	७ १ ५ ०
						३८२	९ १ ५ ०
						३८३	२ १ ५ ०
						३८४	३ १ ५ ०
						३८५	२ १ ५ ०
						३८६	२ १ ५ ०
						३८७	२ १ ५ ०
						३८८	२ १ ५ ०
						३८९	२ १ ५ ०
						३९०	२ १ ५ ०
						३९१	२ १ ५ ०
						३९२	२ १ ५ ०
						३९३	२ १ ५ ०
						३९४	२ १ ५ ०
						३९५	२ १ ५ ०
						३९६	२ १ ५ ०
						३९७	२ १ ५ ०
						३९८	२ १ ५ ०
						३९९	२ १ ५ ०
						४००	२ १ ५ ०
						४०१	२ १ ५ ०
						४०२	२ १ ५ ०
						४०३	२ १ ५ ०
						४०४	२ १ ५ ०
						४०५	२ १ ५ ०
						४०६	२ १ ५ ०
						४०७	२ १ ५ ०
						४०८	२ १ ५ ०
						४०९	२ १ ५ ०
						४१०	२ १ ५ ०
						४११	२ १ ५ ०
						४१२	२ १ ५ ०
						४१३	२ १ ५ ०
						४१४	२ १ ५ ०
						४१५	२ १ ५ ०
						४१६	२ १ ५ ०
						४१७	२ १ ५ ०
						४१८	२ १ ५ ०
						४१९	२ १ ५ ०
						४२०	२ १ ५ ०

194

बन बनावत अधिकारी

20 जुलाई, 1977 ई०

अनुभाग-2

अधिसूचना

संलग्नक - (3)

सं० 4646/14-2-20(41)-77-अधिसूचना संख्या 23 (2)-36(ब)-14-ख-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निविष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निविष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लाक दाड़ी रामे-द्विपत और क्षेत्रफल

1	2	1	2	1	2	1	2
ग्राम-सुखनई	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०
		416	0 9 0	457	0 16 0	2509	1 12 0
		417	1 3 0	458	0 14 0	2510	892 14 0
875	7 19 0	418	0 16 0	459	1 0 0	2511	72 6 0
382✓	1 9 0	419	0 4 0	460	1 14 0	2512	1 6 0
383	2 3 0	420	0 14 0	461	1 8 0	2513	20 7 0
384	3 18 0	421	0 14 0	462	1 17 0	2514	1 11 0
385	3 14 0	422	0 6 0	463	1 1 0	2515	4 19 0
386	1 1 0	423	0 2 0	464	2 3 0	2516	3 14 0
387	1 3 0	424	0 8 0	465	1 11 0	2517	23 19 0
388	0 4 0	425	0 14 0	466	7 3 0	2518	0 16 0
389	0 4 0	426	0 3 0	467	6 9 0	2519	6 4 0
390	1 7 0	427	0 11 0	468	4 2 0	2520	4 0 0
391	0 7 0	428	0 1 0	469	3 3 0	2521	340 1 0
392	0 14 0	429	1 7 0	470	8 10 0	2522	176 12 0
393	0 17 0	430	1 4 0	471	3 5 0	2523	0 18 0
394	1 11 0	431	1 4 0	472	1 1 0	2524	39 10 0
395	0 13 0	432	1 4 0	473	0 8 0	2525	3 8 0
396	0 15 0	433	1 8 0	474	0 8 0	2526	43 13 0
397	0 13 0	434	1 1 0	475	0 14 0	2527	0 16 0
398	0 4 0	435	0 4 0	476	2 4 0	2528	169 4 0
399	0 10 0	436	0 15 0	477	0 7 0	2529	0 14 0
400	1 0 0	437	0 11 0	478	0 9 0	2542	134 16 0
401	0 17 0	438	1 1 0	479	0 10 0	2543	66 8 0
402	1 4 0	439	0 8 0	480	1 3 0	2544	115 19 0
403	0 7 0	440	0 11 0	481	3 10 0	2545	1 8 0
404	1 10 0	441	0 19 0	482	0 9 0	2546	74 4 0
405	0 4 0	442	1 4 0	483	10 5 0	2547	68 14 0
406	1 1 0	443	1 7 0	484	0 6 0	2548	161 0 0
407	0 4 0	444	1 0 0	485	1 7 0	2549	0 8 0
408	0 7 0	445	1 7 0	486	0 10 0	2550	70 17 0
409	0 16 0	446	1 0 0	487-मि०	250 10 0	2551	3 11 0
410	1 16 0	447	1 0 0	488	0 9 0	2552	2 2 0
411	0 4 0	448	1 0 0			2553	1 11 0
412	1 10 0	449	0 8 0			2554	3 6 0
413	0 12 0	450	0 12 0	योग	394 4 10	2555	0 6 0
414	0 12 0	451	0 10 0	2391-मी०	51 0 0	2556	18 4 0
415	0 10 0	452	0 10 0	2506-मी०	90 0 0	2557	0 4 0
		453	0 19 0	932	236 16 0	2558	2 11 0
		454	1 0 0	2678-मी०	153 0 0	2559	0 4 0
		455	0 13 0	2507	2 3 0	2560	0 12 0
		456	2 5 0	2508	158 2 0		

2	1	2	1	2	1	2
बी० बि० बि०	गर्व-पेदेवर	बी० बि० बि०	बी० बि० बि०	गर्व-पेदेवर	बी० बि० बि०	बी० बि० बि०
82 150 10 0		33-मी० 1 19 15		11-मी० 150 1 0		
83 44 1 0	1 1 18 0	34 1 0 0		24-मी० 131 9 0		
84 36 7 0	2-मी० 40 9 0	35-मी० 4 17 0		73/1 14 15 0		
योग .. 1,103 11 0	17-मी० 1 8 0	36 2 8 0		74-मी० 4 0 0		
गर्व-मडिहान	18-मी० 2 15 0	42 0 3 0		184 105 12 0		
1 19 0	19-मी० 4 12 0	43-मी० 29 12 0		185 13 12 0		
0 8 0	23-मी० 11 15 0	46 0 11 0		योग 419 0 0		
112 12 0	24 3 6 0	47-मी० 30 9 0		कुल यत्न 14895 17 5		
4-मी० 27 8 0	25-मी० 47 7 0	48 8 1 0		या 9309.52		
20-मी० 3 0 0	26 37 4 0	49-मी० 17 0 0		एकड़ या 3767.594		
44-मी० 145 1 0	27 0 10 0	50-मी० 5 0 0		हेक्टेयर		
45 1 11 0	28/1 4 11 0					
46-मी० 1 0 0	29 4 13 0					
योग .. 292 19 0	30 36 15 0	योग .. 298 3 15				

सीमा का वर्णन

मुनारा संख्या	मुनारे की स्थिति	अगले मुनारे की लगभग दिशा	लगभग विवरण		अगले मुनारे की लगभग दूरी (जरीबों में)	अगले मुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
			फारेस्ट ब्लॉक नं० 1				
1	कृषि क्षेत्र सं० 546-598 एवं 551 के जोड़ पर	—	—	—	14.30	डेढ़ी लाइन	ग्राम दादी राम व बहुती के दो-
2	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के दक्षिणी उ०प०उ०, सेंड पर		319.00	139.30	5.38	सीधी लाइन	हद्दे से अ० च० कोण 93.00
3	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उ०प०उ०, उभयनिष्ठ सीमा पर		12.00	192.00	10.25	"	प० च० कोण 273.00 दूरी,
4	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के पश्चिमी सेंड पर	प०उ०प०	313.00	133.00	6.50	"	17 जरीब 25 कड़ी पर पी०
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	नं० 1 प्रारम्भ
6	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू०उ०पू०	46.00	226.00	8.60	"	
7	कृषि क्षेत्र सं० 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
7-क	"	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं० 546 व 532 व 551 के जोड़ पर	पू०उ०पू०	118.00	298.00	8.60	"	
9	कृषि क्षेत्र सं० 532 एवं 551 के सीमा पर	प०उ०प०	18.00	198.00	19.50	"	
9-क	वन क्षेत्र सं० 532 में	उ०पू०उ०	18.00	198.00	3.60	"	
10	कृषि क्षेत्र सं० 510 के दक्षिणी सेंड पर	द०प०द०	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के पश्चिमी सेंड पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं० 533 के द०पू० कोण पर	प०उ०प०	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के प० सेंड पर	द०प०द०	204.00	24.00	6.40	"	

